आयकर विभाग

बजट 2025
बेहतर कल के लिए

केन्द्रीय बजट 2025-2026

सशक्त मध्यम वर्ग

- ₹12 लाख तक की सालाना आय पर और वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा (वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 की मानक कटौती सहित)
- करदाता अब बिना किसी शर्त के अपने स्वामित्व वाली दो संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा कर सकते हैं
- सम्बंधित मूल्यांकन वर्ष के खत्म होने के बाद अपडेटेड रिटर्न भरने की समय सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है
- राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से 29 अगस्त, 2024 या उसके बाद जमा की गई धनराशि को निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
- NPS वात्सल्य योगदान पर NPS खाते के समान टैक्स का लाभ मिलेगा

TDS/TCS नियमों में राहत

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर अब ₹1 लाख कर दी गई है
- किराए पर TDS की वार्षिक सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की जाएगी, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा
- RBI की लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम(LRS) के तहत भेजे हुए धन पर TCS कटौती की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख की गई है
- विदेश में शिक्षा के लिए धन भेजने पर TCS नहीं लगेगा
- अगर तिमाही TCS विवरण भरने की आखिरी तारीख तक या उससे पहले TCS चुका दिया जाता है, तो देरी के लिए कोई मुकदमा नहीं चलेगा
- उच्च TDS कटौती केवल गैर-पैन मामलों में लागू होगी

बढ़ता व्यापार

- सुगम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 3 वर्षीय ट्रांसफर प्राइसिंग ब्लॉक अवधि उपलब्ध होगी
- विस्तारित सेफ हार्बर नियमों से अंतर्राष्ट्रीय कराधान में मुकदमेबाजी कम होगी और निश्चितता बढ़ेगी
- इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में लगी निवासी कंपनी को सेवाएं या टेक्नोलॉजी प्रदान करने में लगे गैर-निवासियों के लिए प्रेसमटिव टैक्सेशन की व्यवस्था शुरू की गई है
- विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाइयों को आपूर्ति हेतु पुर्जे संग्रहीत करने वाले गैर-निवासियों के लिए नया सेफ हार्बर नियम बनाया गया है

अनुपालन बोझ को कम करना

छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों/संस्थाओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए पंजीकरण की अवधि 5 वर्ष से बढ़कर 10 वर्ष कर दी गई है

रोजगार और निवेश को बढ़ावा

- देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्देशीय जहाज अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों के लिए टनेज कर योजना का विस्तार किया गया है
- स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, धारा 80-IAC के तहत लाभ को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। यह विस्तार 1 अप्रैल, 2030 से पहले शामिल किए गए योग्य स्टार्टअप्स को लाभ उपलब्ध कराएगा
- इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड में निवेश की समय सीमा बढ़ा दी है
- IFSC में स्थापित वैश्विक कंपनियों की शिप-लीजिंग इकाइयों, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केंद्रों के लिए विशेष लाभ प्रदान किए गए हैं
- लाभों का दावा करने के लिए, IFSC में काम शुरू करने की अंतिम तिथि को भी 5 साल बढ़ाकर 31.3.2030 कर दिया गया है
- इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश करने वाली श्रेणी I और श्रेणी II AIF को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभ पर कराधान की निश्चितता प्रदान की गई है

वेबसाइट के लिए स्कैन करें

आयकर विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

FAQ के लिए स्कैन करें

CBC 15401/13/0017/2425

@IncomeTaxIndia @IncomeTaxIndia.Official @IncomeTaxIndiaOfficial @IncomeTaxIndiaOfficial www.incometax.gov.in